बिहार सरकार

समाहरणालय, अरवल

ई-मेल–dm-arwal.bih@nic.in वेबसाइट - arwal.bih.nic.in दूरभाष /फैक्स - 06337-228988

पत्रांक- रा० (जिला राजस्व शाखा) दिनांक 2022

प्रेषक,

समाहर्त्ता
अरवल।

सेवा में,

अध्यक्ष,
बिहार राज्य धार्मिक न्यास पर्षद,
विद्यापति मार्ग, पटना–800001।

विषयः– **बिहार विधान सभा के प्रक्रिया एवं कार्यसंचालन का नियम 104 (2) के अन्तर्गत श्री संजय सरावगी एवं अन्य माननीय सदस्य, स०वि०स० से प्राप्त ध्यानाकर्षण के संबंध में।**

प्रसंगः– **भवदीय पत्र सं० 5425 दिनांक 05.03.2022**

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के आलोक में श्री संजय सरावगी एवं अन्य माननीय स०वि०स० से प्राप्त ध्यानाकर्षण सूचना से संबंधित वांछित प्रतिवेदन निम्न प्रकार है:–

क्र0	प्रश्न	उत्तर
1	माननीय सर्वोच्च न्यायालय के सिविल अपील सं0–4850 / 2021 (ARISING OUT OF SLP {CIVIL} NO-33675 OF 2017) के अनुसार कंडिका 27 में देश के सभी मठ / मंदिरों की परिसम्पतियों को किसी सेवादार को बेचने का अधिकार नहीं है, सेवादार हकदार नहीं है। सेवादार का नाम सिर्फ राजस्व विभाग के रिमार्क कॉलम में ही रह सकता है। इस संबंध में माननीय न्यायालय के आदेश का अनुपालन प्रतिवेदन।	सरकार से संबंधित है निदेश प्राप्त होने पर आवश्यक कार्रवाई की जायेगी।
2	अपने अधीनस्थ क्षेत्र के अधीन मठ / मंदिर, जो निबंधित / अनिबंधित है, का कुल सं0–प्रमंडलवार / जिलावार, खाता, खेसरा, रकबा (एकड़) में उपलब्ध कराया जाय।	अरवल जिला में धाार्मिक न्यास / मठ, मंदिर की विवरणी निम्नवत है:– 1. कुल न्यास / मठ, मंदिरों की सं0– 50 कुल रकबा–194.3325 एकड़ 2. कुल निबंधित न्यास / मठ, मंदिरों की सं0– 23 कुल रकबा–122.62 एकड़ 3. अनिबंधित न्यास / मठ, मंदिरों की सं0– 27 कुल रकबा–71.7125 एकड़
3	अपने अधीनस्थ धार्मिक न्यास के अन्तर्गत चिन्हित / सर्वेक्षित मठ / मंदिर की भूमि की पैमाईश कराकर पिलरिंग हेतु वांछित राशि से संबंधित आवंटन का मांग प्रतिवेदन।	मठ / मंदिर की भूमि का सर्वेक्षण कराई जा रही है, सर्वेक्षण के उपरांत पैमाइस का कार्य कराया जायेगा।
4	अपने अधीनस्थ धार्मिक न्यास के अंतर्गत मठ / मंदिर की वैसी जमीन जिसपर अवैध कब्जा है उसकी पूरी सूची एवं उसे मुक्त कराने एवं बिक्री पर रोक लगाने की क्या कार्रवाई की गयी इससे संबंधित प्रतिवेदन।	अतिक्रमण से संबंधित कोई मामला की सूचना प्राप्त नहीं है।

विश्वासभाजन

ह०/
समाहर्त्ता,
अरवल।

ज्ञापांक 262 / रा० अरवल दिनांक 15.3. 2022

प्रतिलिपि :– संयुक्त सचिव–सह–अपर विधि परामर्शी बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

ह० 15/3
समाहर्त्ता,
अरवल।

D:\S.Manohar\2022\March\R Letter 010d.docx